कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

संख्या 2332 /आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2018–19/मेरठ/दिनांक : : 06/03/2018

जनपद मेरठ की भांग की फुटकर दुकानों को वर्ष 2018–19 में व्यवस्थित करने के लिए होने वाली नीलामी तिथि को संशोधित किये जाने की सूचना

कार्यालय के पत्र संख्या 2281–81/आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2018–19/मेरठ/दिनांक 19.02.2018 द्वारा जनपद की फुटकर बिक्री की 14 भांग दुकानों को वर्ष 2018–19 में उ0प्र0 आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलाम) नियमावली–1991 के व्यवस्थित करने हेतु नीलाम की तिथि 07.03.2018 नियत की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त नीलामी दिनांक 19.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल बचत भवन सभागार, कलक्ट्रेट परिसर, मेरठ में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 17.03.2018 के प्रातः 10:00 बजे से नीलाम हाल में प्रवेश पाने हेतु निर्धारित शुल्क रू0 5000/– नकद/ड्राफ्ट (जो जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के नाम देए हो) जमा कर हाल टिकट के लिए आवेदन कर सकते है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते है।

(एस0 पी0 सिह)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

(अनिल ढींगरा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रकाशन हेतु नहीं है:–
संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–

1– आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त तिथि को बचत भवन परिसर में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल तैनात कराने का कष्ट करें।

3– संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ।

4– उप आबकारी आयुक्त, मेरठ प्रभार, मेरठ।

5– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

6– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

7– सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण", "अमर उजाला" एवं "हिन्दुस्तान" को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में निर्धारित शासकीय दरों पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशन कराकर, बिल जिला सूचना अधिकारी, मेरठ से सत्यापित कराकर, भुगतान हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एस0 पी0 सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।